न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान बाघ सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –88/2025
निर्णय दिनांक ...05/05/2025

बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति राजपूत निवासी भाड़ंग तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 206 के खसरा सं. 1266/662 तादादी 1.6944 हैक्ट.हिस्सा पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बागसिंह पुत्र जुहारसिंह अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह है। प्रार्थी जमांबदी में अपना नाम बागसिंह पुत्र जुहारसिंह के स्थान पर बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 206 के खसरा सं. 1266/662 तादादी 1.6944 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम बागसिंह पुत्र जुहारसिंह व बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान–पत्र,राशन कार्ड, जन आधार कार्ड से प्रार्थी का नाम बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बागसिंह पुत्र जुहारसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भाड़ंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 206 के खसरा सं. 1266/662 तादादी 1.6944 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **बागसिंह पुत्र जुहारसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **बाघ सिंह पुत्र जवाहर सिंह** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .05/05/2025..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू))

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)